## न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी० पी० नं० :–343/2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66/2026

1. मंसूर कुमार उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता–जयकुमार यादव
सा०–शिशवा, वार्ड नं०–2, थाना–बरहरा कोठी, रघुवंशनगर जिला–पुर्णिया
–काराधीन अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

### जमानत आदेश

22–06–2026 दिनांक–02.03.2026 से काराधीन अभियुक्त मंसूर कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो बिहारीगंज थाना काण्ड सं०–66/2026 अन्तर्गत धारा–309(4) बी०एन०एस० से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसकी संलिप्तता को तथाकथित घटना से जोडने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही पुलिस पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य जुटाया गया है। परंतु आवेदक ने जो पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान दिया है न्यायालय में विचारणीय नहीं है। प्राथमिकी में उल्लेखित किसी भी सामग्री को आवेदक के पास से बरामद नहीं किया गया है। आवेदक को गिरफ्तारी करने का कारण आवेदन में उल्लेखित नहीं है। आवेदक दिनांक 02.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नही है तथा न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि केस के सूचक केशव कुमार शुक्ला जो नया बाजार एफ०सी०आई० गोदाम के सामने स्थित इंस्टाकार्ट सर्विस प्रा० लि० मे हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत है, उसके ऑफिस में दिनांक 27.02.2026 को रात्री करीब 11:19 बजे चार अज्ञात हथियारबद्ध व्यक्ति जिसका उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच का होगा वे लोग ऑफिस में घुसकर उपरोक्त तिथि का केश मूल्य 1,84,899 रूपया, 22 शिपमेंट जिसका मूल्य 297472 रूपया (कुल मूल्य 4,82371 रूपया) तथा 19 मोबाइल साथ ही एक वाई०फाई० राउटर और SDWAN डिवाइस लेकर चला गया।

Satish Kumar 22.06.26

–लगातार

# न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

**बी0 पी0 नं0 :–343 / 2026**
**उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–66 / 2026**
**–2–**

**लगातार**
**22–06–26**

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा– 309(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार घटना तिथि की रात्रि करीब 11:18 बजे चार अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति Instakart Service Pvt. Ltd. के ऑफिसर (जहॉ सूचक हब इंचार्ज के रूप में कार्यरत था) में घुसकर 1,84,899 रूपया कैश एवं 22 शिपमेंट (कीमत 2,97,472 रूपया) जिसमें 19 मोबाइल साथ ही एक Wi-fi Router और SDWAN डिवाइस था लेकर चला गया।

आवेदक यद्यपि प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है परंतु अनुसंधान के कम में आवेदक की संलिप्तता सामने आई है। कांड दैनिकी के पारा–03 में सूचक का बयान है तथा पारा–04 एवं 05 में साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जब्ती सूची (पारा–84 में वर्णित) के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पास से काले रंग के अपाचे बाइक की बरामदगी हुई है। कांड दैनिकी के पारा–30 में सह अभियुक्त मंसूर कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने नीतिश कुमार यानि कि आवेदक के काले रंग के अपाचे बाइक से घ ाटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया है। इसके अलावा आवेदक के पास से बरामद एक काले बैग में Flipkart Shipment खुला पैकेट, तीस हजार रूपया कैश खुला हुआ नम्बर प्लेट आदि भी बरामद किया गया है। आवेदक का दो पूर्व आपराधिक इतिहास भी है जो धारा–392 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज है तथा इनमें आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। प्रथमदृष्ट्या आवेदक की कांड में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से दाखिल जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है। यद्यपि आरोप गठन के पश्चात् आवेदक चाहें तो निम्न न्यायालय में पुनः नवीन जमानत याचिका दाखिल कर सकते है।

लेखापित
Satish Kumar
22.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।